डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मावली

बईजलास : मनुसख राम डामोर, आर.ए.एस.

उनवान

1. श्री विनोद सुहालका पिता स्व. चितरंजनलाल जी सुहालका हालका उम्र 58 वर्ष, निवासी–64–ए सर्वऋतु विलास उदयपुर, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।

...........वादी

बनाम

1. श्री जेतराम पिता जोधा जी डांगी, उम्र 68 वर्ष, निवासी धूणीमाता नाहरमगरा एयरपोर्ट रोड, तहसील मावली, जिला उदयपुर
2. श्रीमती रम्भाबाई पत्नी धर्मचन्द्र जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी धूणीमाता नाहरमगरा, एयरपोर्ट रोड, तहसील मावली, जिला उदयपुर
3. श्री धर्मचन्द्र पिता जेतराम जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी धूणीमाता नाहरमगरा, एयरपोर्ट रोड, तहसील मावली, जिला उदयपुर
4. श्रीमती सवा उर्फ सवलीबाई पति श्री जेतराम जी डांगी, उम्र वयस्क, निवासी धूणीमाता नाहरमगरा एयरपोर्ट रोड तहसील मावली, जिला उदयपुर।

.............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 118/14 (वाद)

जीसीएमएस नम्बर : 2014/00018

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मनसुख राम डामोर, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम धुणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा की नकल जमाबंदी संवत 2068–71 के खाता संख्या 179 पर दर्ज आराजी नम्बर 2476 किता 1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि तथा खाता संख्या 77 पर दर्ज आराजी नम्बर 2474 किता 1 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि का 1/2 हिस्सा जो वादी के कब्जे काश्त में है में न तो प्रवेश करे, न वादी को बेदखल करे तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये कोई कदम नही उठावें। वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देंवे। उक्त कृत्य प्रतिवादीगण किसी अन्य से भी नही करावें।

Signature Not Verified

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख [illegible].07.2024 को जारी की गई।

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:57:13 IST
Reason: SelfAttested

(मनसुख राम डामोर) R.A.S.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
मावली जिला उदयपुर